

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबुलाल

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री बाबुलाल

पत्रावली संख्या : 13/20

जीसीएमएस : 2020/00053

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण   | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|---|--|
|         | <p>दिनांक : 29.07.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार हो चुका है। अतः मूल वाद स्वीकार होने से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी सं. 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(मनसुख राम डामोर)<br/>सहायक कलक्टर<br/>(FT) मावली</p> |  |

